सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 429 राँची, मंगलवार, 17 ज्येष्ठ, 1938 (श०)

7 जून**, 2016** (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

संकल्प

3 जून, 2016

विषय : राजस्व प्राप्तियों के लिए e-GRAS (Electronic Government Receipt Accounting System) व्यवस्था लागू करने तथा SBI से MoU करने के संबंध में।

संख्या-45/विविध/12/2015 1658/वि०--झारखण्ड राज्य में नई कोषागार संहिता दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से लागू हो चुकी है। कोषागारों का कार्य कम्प्यूटरीकरण पद्धति से संचालित किया जा रहा है। राज्य के राजस्व संग्रहण विभागों के द्वारा राजस्व प्राप्तियों के सरकारी खाते में जमा करने के लिए अभी Manual Challan का प्रयोग हो रहा है तथा वर्त्तमान में **e-receipt** भी प्रयोग में लाया जा रहा है।

सरकारी कार्यों में Electronicपद्धति का शत् प्रतिशत प्रयोग करने से सरकारी प्राप्तियों का लेखा संधारण व्यवस्थित तथा पारदर्शी होगा एवं उसका मिलान (Reconciliation) सहजता से हो सकेगा।

2. झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 42, 51 एवं 52 में e-receipt की अवधारणा प्रावधानित है ।

3. उक्त के आलोक में निदेश है कि:-

(i) चूँकि भारतीय स्टेट बैंक ही सरकारी राशि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियुक्त एजेन्सी बैंक है अतः e-receipt हेतु SBI के SBI e-Pay को Gateway के रूप में प्रयुक्त करने हेतु MoU किया जायेगा। MoU का प्रारूप संलग्न है।

(ii) e-receipt से संबंधित सारे कार्य Cyber Treasury द्वारा किया जायेंगे तथा उसका लेखा सीधे महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

(iii) सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन के कोषागार पदाधिकारी Cyber Treasury के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

(iv)CINB के तहत कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन के पदनाम से खोला गया SBI खाता संख्या 33934068850 राज्य सरकार के e-receipt aggregation account के रूप में प्रयुक्त होगा।

(v)Cyber Treasury से संबद्ध SBI की शाखा ही e-receipt के लिए Focal Point Branch के रूप मे कार्य कारेगी ।

(vi)e-receipt के लिए शुरूआती दौर में Pay Mode Internet Banking रहेगा तथा कालान्तर में Pay Mode यथा; Credit / Debit Card एवं IMPS (Internet Mobile Payment System) लागू किया जायेगा।

(vii) सरकारी खाते में नगद/चेक/ड्राफ्ट जमा करने के लिए Challan e-GRAS Portal से generate कर बैंक में जमा किया जायेगा। **e-receipt** के लिए वर्त्तमान में लागू विभिन्न बैंकों के विभागीय Portal के साथ समेकित व्यवस्था अगले तीन माह तक लागू रहेगी ।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2016 की बैठक के मद सं० 25 में इसकी स्वीकृति दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,
अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 429—50 ।